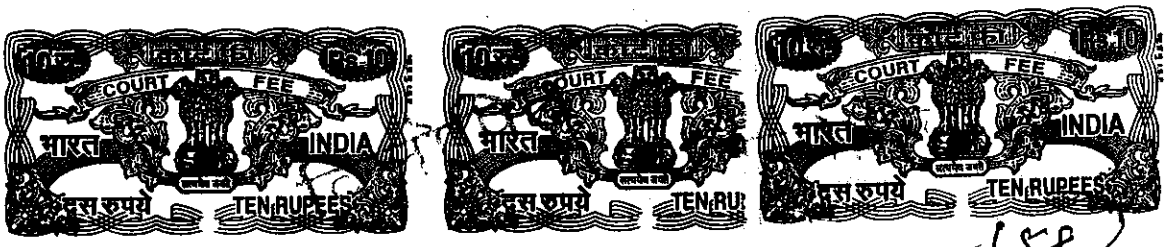

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

निग0 3186-I/16

1— रामदयाल तनय बचउ कुलस्ते (गौंड़),

2— जेठूलाल तनय बचउ कुलस्ते (गौंड़),

3— मंगोबाई वेवा तखत कुलस्ते (गौंड़),

4— सूरज पिता तखत कुलस्ते (गौंड़),

5— महेन्द्र पिता तखत कुलस्ते (गौंड़),

6— चंदा पिता तखत कुलस्ते (गौंड़),

7— रजनी पिता तखत कुलस्ते (गौंड़),

8— सुमन पिता तखत कुलस्ते (गौंड़),

सभी निबासी ग्राम नानाखेड़ा, तह0 एवं जिला जबलपुर म0प्र0,

..................आवेदकगण

वनाम

1— म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर जिला,

2— श्रीमति निरंजना पटैरिया पत्नि श्री महेन्द्र कुमार पटैरिया,

निबासी— व्यवहार वाग जबलपुर, जिला जबलपुर म0प्र0,

.... अनावेदकगण

राजेन्द्र पटैरिया (एड.)
बार रूम क्र. 1 जिला कोर्ट सागर
नि॰ 142, मनोरमा कॉलोनी, सागर
मो. 9425451092

निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता :—

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :—

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक– R3186/I/2016 जिला– जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश **रामदयाल कुलस्ते व अन्य वनाम म0 प्र0 शासन**	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-10-16	1– मैंने प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदक के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पटैरिया द्वारा यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर जबलपुर जिला, द्वारा प्र0क0 147/अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 06/09/2016 से दुखित होकर प्रस्तुत की है। 2– आवेदकगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता तथा शासन की ओर से पेनल लॉयर अधिवक्ता उपस्थित, उनके तर्क श्रवण किये गये। आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में उन्हीं तथ्यों एवं आधारों को बतलाया गया है, जो कि निगरानी मीमों में लेख किये गये हैं। आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदकगण द्वारा निगरानी के साथ कलेटर के संपूर्ण प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार आवेदकगण के नाम से ग्राम नानाखेड़ा, प0ह0नं0 26, तहसील व जिला जबलपुर में भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि खसरा नंबर 13 में रकवा 2.020 हैक्टेयर राजस्व अभिलेख में दर्ज है, उपरोक्त भूमि आवेदकगण के पिता बचउं पिता हीरालाल को बर्ष 1981–82 में पट्टा पर प्राप्त हुई थी। जिस पर वे मालिक काबिज चले आ रहे हैं। उपरोक्त भूमि के अलावा आवेदकगण के नाम से ग्राम बैगा पिपरिया, प0ह0नं0 28, तहसील लखनादौन , जिला सिवनी में 2.000 है0 भूमि और है, जो कि उनके द्वारा कय की गई थी। जिसके लिये श्रीमति निरंजना पटैरिया से 10,00000/– अंकन दस लाख रूपया इस शर्त पर लिये थे कि इस भूमि के बिकय की अनुमति प्राप्त करके उनको भूमि की शेष प्रतिफल राशि प्राप्त करके शासकीय दर पर बिकय कर देंगे। आवेदकगण द्वारा कयशुदा भूमि को उपजाउ बनाने, मकान बनाने व पुत्री की शादी	

... करने के लिये रूपयों अवश्यकता के चलते उपरोक्त ग्राम ... स्थित भूमि बिकय करने की अनुमति हेतु एक ... कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत करने पर उनके द्वारा आवेदन पत्र इस आधार पर निरस्त कर दिया कि, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन दिया है कि, आवेदकगण द्वारा पटटाधारी बचउ से भूमि कय करते समय सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त नहीं की है, ना ही कोई समाधान कारक कारण प्रस्तुत किया है। जिसके बिरूद्व इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3- निगरानी के साथ संलग्न अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि, आवेदकगण पट्टाधारी बचउं के वारिस हैं। जिनको वादभूमि बचउं की मृत्यु के उपरांत बारिसान हक में प्राप्त हुई है। आवेदकगण द्वारा ग्राम बैगा पिपरिया में 2.000 हैक्टेयर भूमि कय की गई है। जिससे बे भूमिहीन नहीं हो रहे है। भूमि को उपजाउ बनाने, मकान बनाने, बच्ची की शादी करने व अन्य अवश्यकताओं बाव्द भूमि बिकय करना चाहते हैं। आवेदित भूमि पटवारी एवं तहसीलदार के प्रतिवेदन के अनुसार अनुपजाउ, असिंचित तथा एक फसली है, मेन रोड से 09 किमी अंदर है। तहसीलदार द्वारा अपने प्रतिवेदन में भूमि बिकय करने में असहमति जाहिर नहीं की है। बिकय सद्भावना पूर्वक बिकय किया जा रहा है। आवेदकगण या उनके पिता/पट्टाधारक द्वारा संहिता की धारा 158 या 165/7 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है, कलेक्टर जबलपुर द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 06/09/2016 निरस्त करते हूये, आवेदकगण को प्रश्नाधीन भूमि अनावेदिका कमांक 02 श्रीमति निरंजना पटैरिया के पक्ष में शासकीय दर पर बिकय करने की अनुमति प्रदान की जाती है। संबंधित उप पंजीयक बिकय पत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्व करें। उपरोक्तानुसार निगरानी निराकृत की जाती है। प्रकरण का परिणाम दर्ज करके राजस्व मंडल का यह प्रकरण दा0 द0 हो।

सदस्य